Dr. M.K. Poonia
DEAN

COLLEGE OF AGRICULTURE
AGRICULTURE UNIVERSITY, JODHPUR
कृषि महाविद्यालय
(कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर)
बीकानेर रोड, नागौर –341001 (राजस्थान)

Phone: 01582-247525 (O)
Mob.: 09828357322
email: coanagaur15@gmail.com

No. F.( )Estt/CoA/NGR/2020/209 Date: 15.09.2020

निविदा आमन्त्रण सूचना

कृषि महाविद्यालय, नागौर (कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर) के कार्यालय परिसर व फार्म पर विभिन्न कृषि व अन्य कार्यों हेतु अनुबंध पर श्रमिक एवं सफाईकर्मी उपलब्ध करवाने हेतु मुहरबन्द निविदा 4.00 लाख (अक्षरे चार लाख रू. मात्र) तक आमंत्रित की जाती है। इच्छुक व्यक्ति उक्त कार्य के लिए धरोहर राशि रूपये 8,000/– (अक्षरे रूपये आठ हजार मात्र) व निविदा प्रपत्र शुल्क रू 500/–(अक्षरे रू. पाँच सौ मात्र) दिनांक 30.09.2020 गुरूवार को दोपहर 2:00 बजे तक कृषि महाविद्यालय, नागौर, के कार्यालय में नकद अथवा बैंक ड्राफ्ट जो अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, नागौर (Dean, College of Agriculture, Nagaur) के नाम देय हो, संलग्न कर निविदा जमा करवा सकते हैं। निविदा प्रपत्र व शर्तों को कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर की वेब साइट www.aujodhpur.ac.in अथवा राजस्थान राज्य लोक उपापन की वेब साइट www.sppp.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा उसी दिन 30.09.2020 गुरूवार को दोपहर 2:30 बजे के बाद खोली जायेगी। निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत/स्थगित/निरस्त आदि करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता का रहेगा।

Mahesh

अधिष्ठाता

प्रतिलिपि सूचनार्थ :–

1. श्रीमान वित्त नियंत्रक, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर।
2. लेखा शाखा, कृषि महाविद्यालय, नागौर।
3. निविदा कमेटी सदस्यगण.........................
4. सूचना पट्ट, कृषि महाविद्यालय, नागौर

Mahesh

अधिष्ठाता

कृषि महाविद्यालय, नागौर
(कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर)

No. F.( )Estt/CoA/NGR/2020/209 Date: 15.09.2020

<u>निविदा प्रपत्र</u>
<u>(कृषि व अन्य कार्यो के लिए श्रमिक एवं सफाईकर्मी उपलब्ध कराने हेतु)</u>

निविदा प्रपत्र शुल्क रू 500/–(अक्षरे रू. पाँच सौ मात्र) रसीद संख्या......................... दिनांक.........................
निविदा सूचना क्रमांक ....दिनांक .... कृषि महाविद्यालय, नागौर (कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर) पर कृषि व अन्य कार्यों के लिए श्रमिक एवं सफाईकर्मी उपलब्ध कराने का निविदा प्रपत्र धरोहर राशि रू 8,000/– (अक्षरे रू. आठ हजार मात्र) बैंक ड्राफ्ट संख्या/रसीद संख्या...दिनांक...
निविदादाता का नाम व पूरा पताः...
....
....
....
दूरभाष नंबर यदि होः ....मोबाइल नंबर ....

क्र. सं.	कार्य का विविरण	निविदा दर (निविदा दरें सरकारी दर को आधार मानते हुए भरें)*
1.	फसलों की बुवाई (ले–आउट/ गेप फिलिंग/ पौध की रोपाई/पौध प्रजनन के विभिन्न कार्य सेल्फिग, क्रोसिंग (परागण कार्य में मदद करना), हैण्ड वीडींग/ (खरपतवार निकालना), गुड़ाई करना, तुड़ाई (पिकिंग), बीज निकालना, कटाई, गहाई, औसाई व बीज पैंकिग, प्रयोगशाला व ग्रीनहाउस में कार्य/ विभिन्न कृषि प्रयोगों के आंकड़े (खेत व प्रयोगशाला में) लेने में मदद/ फसल को पक्षियों से बचाव व फसलों को खलीहान तक लाना/फार्म व कार्यालय में विभिन्न कार्य (अकुशल श्रमिक)।	कार्य प्रतिदिन 8 घंटे की दर सें . ...
2.	कार्यालय परिसर में कक्षा कक्ष, प्रयोगशाला, ऑफिस कक्ष, शौचालय, स्नानघर, बरामदे, परिसर के चारों ओर सफाई कार्य हेतु सफाई कर्मी	....

*किसी भी प्रकार का कर (पी.एफ., ई.एस.आई. या अन्य कर या श्रमिक लाभ) निविदादाता द्वारा दी गयी दर में सम्मलित रहेगा।

हस्ताक्षर निविदादाता ठेकेदार

कृषि महाविद्यालय, नागौर
(कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर)

कृषि महाविद्यालय परिसर एव फार्म पर कृषि व अन्य कार्यों के लिए श्रमिक एवं सफाईकर्मी उपलब्ध कराने हेतु निविदा शर्तेः–

1. मुहरबन्द निविदा अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, नागौर के नाम देय होनी चाहिए।
2. निविदा मुहरबन्द लिफाफे में भौतिक रूप में भी जमा करवानी है जिसके लिफाफे पर कृषि व अन्य कार्यों के लिए श्रमिक एवं सफाईकर्मी उपलब्ध कराने हेतु निविदा तथा दिनांक 30.09.2020 लिखा होना चाहिए।
3. प्रत्येक कार्य की निविदा दर स्पष्ट रूप से अंको व शब्दों में लिखी होनी चाहिए।
4. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।
5. निविदा निविदाशर्तों का अध्ययन करने के पश्चात् ही प्रस्तुत करें तथा प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता के हस्ताक्षर होने चाहिए।
6. निविदा दरें, निविदा अनुमोदन के पश्चात् 06 महीने के लिये मान्य होगी। आपसी सहमति से यह समयावधि बढ़ाई जा सकती है।
7. निविदा के साथ रू 8,000/– (अक्षरे आठ हजार रू.मात्र) धरोहर राशि व निविदा प्रपत्र शुल्क रू 500/–(अक्षरे रू. पाँच सौ मात्र) बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट/नगद के साथ जो कि अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, नागौर के नाम देय हो, प्रस्तुत करें। बिना धरोहर राशि के निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी तथा धरोहर राशि के रूप में चैक स्वीकार नहीं किया जायेगा।
8. निविदा को दिनांक 30.09.2020 को 02.30 बजे बाद खोला जायेगा। यदि किसी कारणवश उस दिन का अवकाश रहता है तो अगले दिन उसी समय व उसी स्थान पर निविदा खोली जायेगी।
9. किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत/स्थगित/निरस्त आदि करने का अधिकार अधिष्ठाता के पास सुरक्षित रहेगा एवं अधिष्ठाता के निर्णय सर्वमान्य होंगे।
10. समस्त कार्य, प्रभारी अधिकारी/फार्म प्रभारी/फार्म प्रबंधक/कृषि पर्यवेक्षक की निगरानी में उनके निर्देश के अनुसार पूरा करना होगा।
11. कार्य की प्रकृति एवं मांग के अनुसार श्रमिक एवं सफाईकर्मी उपलब्ध करवाने होगें। ठेकेदार को समय–समय पर अग्रिम रूप से सूचित किया जाता रहेगा। ठेकेदार को उसी अनुसार निर्धारित समय पर कार्य करवाना होगा अन्यथा, कार्य सम्पादन में किसी भी प्रकार के विलम्ब को विश्वविद्यालय का नुकसान माना जायेगा जो कि धरोहर राशि के बराबर अथवा कमेटी जो निर्धारित करेगी, उसी के अनुसार नुकसान कि भरपाई ठेकेदार को करनी होगी।
12. संविदा पर करवाने जाने वाले कार्यों के लिये निधारित मापदंडों के अनुसार कार्य न होने पर उस कार्य को सुधार कर पूरा करवाने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। जिसको निविदादाता द्वारा स्वयं के खर्चे से व्यवस्थित रूप से पूरा करवाना होगा। यदि ठेकेदार ऐसा करने में असमर्थ रहा तो उस कार्य को विश्वविद्यालय द्वारा ठेकेदार के जोखिम पर करवाया जायेगा।
13. ठेकेदार के श्रमिकों एवं सफाईकर्मीयों द्वारा यदि महाविद्यालय परिसर में उपकरण व फार्म की फसलों अथवा सम्पति को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुचाया गया तो उसका हर्जाना ठेकेदार को भुगतना पड़ेगा अथवा नुकसान का हर्जाना अदा नहीं करने पर धरोहर राशि अथवा देय भुगतान में से काट लिया जायेगा।
14. भुगतान केवल पूरा करवाये गये कार्य की मात्रा के अनुसार ही किया जायेगा तथा ठेकेदार को अग्रिम तौर पर धन, सामान अथवा किसी प्रकार की सेवा प्रदान नहीं की जायेगी।
15. सफल निविदादाता के अतिरिक्त सभी की धरोहर राशि निविदा अनुमोदन के पश्चात् सात दिन अन्दर–अन्दर लौटा दी जायेगी। धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
16. सफल निविदादाता यदि ठेका बीच में छोड़ देता है तो उसकी धरोहर राशि व करवाये गये कार्य बकाया भुगतान जब्त करके ब्लेक–लिस्टेड घोषित कर दिया जायेगा।

17. कार्यालय द्वारा स्वीकृति दरों के अतिरिक्त किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जावेगा तथा स्त्रोत पर आयकर, सेवाकर या सरकारी देनदारी, अन्य कर देय हो तो नियमानुसार कटोती निविदादाता से की जायेगी।

18. ठेकेदार श्रमिकों एवं सफाईकर्मीयों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर से कम भुगतान नहीं करेगा एवं भुगतान परिसर प्रभारी/फार्म प्रभारी/कृषि पर्यवेक्षक की उपस्थिति में व समय पर करेगा।

19. अनुबन्धकर्ता को नॉन–ज्युडिसियल स्टाम्प रूपये 500 या हाल ही घोषित सरकारी दर पर इकरारनामा (अनुबन्ध) प्रेषित करना होगा एवं साथ ही अनुबन्धित वार्षिक राशि की 5 प्रतिशत राशि प्रतिभूति के रूप में निर्धारित अवधि में जमा करवानी होगी।

20. अनुबन्ध पर रखे श्रमिक एवं सफाईकर्मी निर्धारित समय पर ड्यूटी पर उपस्थित होंगे एवं कार्य संतोषजनक नहीं होने पर स्वीकृत अनुबन्ध निरस्त कर नई निविदा आमंत्रित कर ली जावेगी। स्वीकृत दर से अधिक दर पर भुगतान करने पर अनुमोदित अनुबन्धकर्ता से अधिक भुगतान की गई राशि वसूल की जाएगी।

21. अशिष्ट व्यवहार करने व कार्य संतोषजनक नहीं होने पर श्रमिक एवं सफाईकर्मी को हटा दिया जायेगा। श्रमिकों एवं सफाईकर्मीयों के संदर्भ में यदि किसी प्रकार का कोई दायित्व उत्पन्न होता है तो उसके लिये सम्बन्धित निविदादाता ही व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेगा तथा विश्वविद्यालय किसी भी रूप से उत्तरदायी नहीं होगा तथा इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के विरूद्ध की गई सभी कार्यवाही या कानूनी कार्यवाही प्रभाव शून्य होगी।

22. अनुबन्ध अवधि में किसी श्रमिक या सफाईकर्मी की दुर्घटना से मृत्यु या अन्य दुर्घटना घटित होने पर उससे उत्पन्न किसी प्रकार के विवाद की पूर्ण जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता (ठेकेदार) की होगी। ऐसी स्थिति में विश्वविविद्यालय की किसी प्रकार की जिममेदारी नहीं होगी और न ही किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जायेगा और न ही इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय प्रशासन से क्षतिपूर्ति की मांग की जावेगी।

23. अनुबन्ध अवधि के दौरान लगाये जाने वाले श्रमिको एवं सफाईकर्मीयों के संदर्भ में श्रम कानूनों एवं प्रावधानों की पूर्ण पालना हेतु निविदादाता (ठेकेदार) उत्तरदायी रहेगा।

24. राजस्थान Transparency in Public Procurement Rule 2013 के प्रवाधन प्रभावी रहेंगे।

25. किसी भी विवाद का निपटारा करने हेतु अधिष्ठाता का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा एवं ठेकेदार उसके लिए बाध्य होगा।

26. निविदादाता/फर्म/ऐजेन्सी के पास श्रम विभाग में पंजीयन होना चाहिए तथा उसके पास आयकर विभाग द्वारा निर्गत वैध पेन नं (PAN No.)/ सेवाकर नम्बर इत्यादि जो ऐसे निविदादाता के लिए आवश्यक हो, होने चाहिए।

Mahesh

अधिष्ठाता

मुझे (निविदादाता) समस्त उपरोक्त शर्तें मंजूर है एवं मैं उपरोक्त शर्तों पर कार्य करने के लिए सहमत हूँ।

हस्ताक्षर निविदादाता (ठेकेदार)